# न्यूज़ टुडे

## आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (Ministry of Housing and Urban Affairs: MoHUA) द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का संचालन किया गया

- **इस सर्वेक्षण के प्रमुख निष्कर्ष:**
  - इंदौर को लगातार चौथी बार **सबसे स्वच्छ भारतीय शहर** घोषित किया गया है, इसके पश्चात् सूरत का स्थान है।
  - **सबसे स्वच्छ राजधानी शहर**– नई दिल्ली {नई दिल्ली नगर निगम (NDMC)}।
  - **100 से अधिक शहरों वाले राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य**– छत्तीसगढ़।
  - **100 से कम शहरों वाले राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य**– झारखंड।
  - **गंगा के तट पर अवस्थित सबसे स्वच्छ शहर**– वाराणसी।
  - **40 लाख से अधिक जनसंख्या के साथ सबसे स्वच्छ मेगासिटी**– अहमदाबाद।
- **स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में:**
  - यह MoHUA द्वारा संचालित एक **वार्षिक रैंकिंग प्रणाली** है। इसके तहत देश के **शहरी क्षेत्रों का उनके स्वच्छता के स्तरों तथा स्वच्छ भारत अभियान के समयबद्ध और अभिनव तरीके से सक्रिय कार्यान्वयन** के आधार पर आकलन किया जाता है।
    - इसे **वर्ष 2016 में आरंभ** किया गया था तथा यह अर्बन सैनिटेशन और स्वच्छता से संबंधित विश्व का सबसे बड़ा सर्वेक्षण है।
    - इसका उद्देश्य **व्यापक पैमाने पर नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना** और कस्बों एवं शहरों को एक बेहतर निवासयोग्य स्थान बनाने की दिशा में समाज के सभी वर्गों के मध्य एकजुट होकर कार्य करने के महत्व के बारे में जागरूकता सृजित करना है।
  - स्वच्छ सर्वेक्षण 2020, इस सर्वेक्षण का **5वां संस्करण** है और इसमें 4,242 शहर, 62 छावनी बोर्ड तथा गंगा के तट पर अवस्थित 92 शहर शामिल किए गए थे।

## मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि राज्य सरकार की नौकरियाँ राज्य के लोगों के लिए आरक्षित होंगी

- यद्यपि, मुख्यमंत्री द्वारा इस प्रस्ताव के विवरण का उल्लेख नहीं किया गया है, तथापि **"केवल जन्म स्थान के आधार पर आरक्षण"** प्रदान करने के मध्य प्रदेश सरकार के इस निर्णय से संवैधानिक प्रश्न उत्पन्न होंगे।
- **इस प्रकार के आरक्षण से संबंधित मुद्दे:**
  - संविधान का **अनुच्छेद 16(2)**, राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी भी आधार पर कोई विभेद करने का प्रतिषेध करता है।
  - इसके अतिरिक्त, भारत में **एकल नागरिकता** का प्रावधान है। अतः किसी भी राज्य में लोक नियोजन हेतु निवास की आवश्यकता को एक अर्हता (qualification) के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता है।
- **अपवाद:**
  - **अनुच्छेद 16(3)** में यह उपबंध किया गया है कि **केवल संसद** (न कि राज्य विधान मंडल) ही किसी विशेष राज्य में नौकरियों के लिए निवास की आवश्यकता "निर्धारित" करने वाला एक कानून निर्मित कर सकती है।
    - अनुच्छेद 16(3) के तहत, संसद ने **लोक नियोजन (निवास के रूप में अपेक्षा) अधिनियम {Public Employment (Requirement as to Residence) Act}** अधिनियमित किया था। इस अधिनियम में केवल आंध्र प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश के लिए विशेष परिस्थितियों में अपवादों की अनुमति प्रदान की गई है।
  - संवैधानिक रूप से, **कुछ राज्यों में अनुच्छेद 371 के तहत विशेष संरक्षण विद्यमान हैं**, उदाहरणार्थ– उत्तराखंड में, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरियाँ स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित हैं।
- हालांकि, कुछ राज्यों द्वारा **भाषा के ज्ञान को एक मानदंड के रूप में निर्धारित करके** अनुच्छेद 16(2) के अधिदेश का अतिक्रमण किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि स्थानीय निवासियों को नौकरियों में प्राथमिकता दी जाती है।

## वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में रणनीतिक स्वायत्तता की आवश्यकता: विदेश मंत्री

- **आसियान–इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक** के सम्मेलन में, भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि कोविड–19 ने **वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं (Global Supply Chains: GSCs) के विविधीकरण और लचीलेपन (resilience)** को महत्व प्रदान किया है।
  - उन्होंने यह मत प्रस्तुत किया कि **GSC के संदर्भ में रणनीतिक स्वायत्तता की अवधारणा ने प्रासंगिकता** ग्रहण की है। साथ ही, उन्होंने **बहुपक्षवाद पर भी बल** दिया है।
- GSCs ऐसे नेटवर्क हैं, जो **वस्तुओं एवं सेवाओं की सोर्सिंग (स्रोत से प्राप्त करना) और आपूर्ति के उद्देश्य** से लगभग सभी महाद्वीपों तथा अनेक देशों में विस्तृत होते हैं।
  - GSC में विश्व भर में सूचनाओं, प्रक्रियाओं और संसाधनों का प्रवाह शामिल होता है।
- कोविड–19 संकट के दौरान, चीन पर अत्यधिक निर्भरता के कारण **वैश्विक अर्थव्यवस्था में अंतर्निहित जोखिम** प्रकट हुए, क्योंकि **चीनी आपूर्तिकर्ता उन उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण हैं जो वैश्विक स्तर पर परिचालित हैं।**
  - विश्व की कंपनियां और सरकारें **इससे सचेत होकर भविष्य के संकटों के विरुद्ध बेहतर तैयारी** कर सकती हैं।
- **अब तक किए गए उपाय:**
  - भारत सरकार ने अधिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में **आत्मनिर्भर भारत अभियान** की शुरुआत की है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने भाषण में प्रधान मंत्री ने भारत को **वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के केंद्र** के रूप में विकसित करने पर बल दिया था।
  - **भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया** चीन पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए एक त्रिपक्षीय **आपूर्ति श्रृंखला लोचशीलता पहल (Supply Chain Resilience Initiative: SCRI)** प्रारंभ करने पर कार्य कर रहे हैं।
  - इसके अतिरिक्त, जापान जैसे राष्ट्र अपने देश की कंपनियों को वापस अपने **देश में कार्य संचालन आरम्भ करने हेतु उन्हें वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान** करने जैसे उपायों को अपना रहे हैं।

## चीन बांग्लादेश को तीस्ता नदी परियोजना के लिए 1 बिलियन डॉलर का ऋण प्रदान करेगा

- यह प्रस्तावित ऋण **तीस्ता नदी व्यापक प्रबंधन और पुनर्स्थापन परियोजना (Teesta River Comprehensive Management and Restoration Project)** के तहत प्रदान किया जाएगा।
  - इस परियोजना का उद्देश्य **तीस्ता नदी बेसिन का कुशल प्रबंधन करना,** बाढ़ को नियंत्रित करना और ग्रीष्मकाल में जल संकट से निपटना है।
  - यह पहली बार है जब चीन बांग्लादेश के किसी नदी प्रबंधन परियोजना में शामिल हो रहा है।
- ध्यातव्य है कि यह भारत के लिए एक चिंतनीय विषय है, क्योंकि **भारत और बांग्लादेश के मध्य तीस्ता नदी के जल–बंटवारे को लेकर लंबे समय से विवाद कायम है।**
- तीस्ता नदी का उद्गम भारत के त्सोलमो (IsoLamo) (हिमालय) से होता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी में विलीन होने से पूर्व यह **सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से प्रवाहित होती है।**
  - यह **उन 54 नदियों में से एक है, जो भारत से बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं।** यह बांग्लादेश में (गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना के पश्चात्) चौथी सबसे बड़ी सीमापारीय (trans-boundary) नदी है।
- वर्ष 1951 में इस नदी के जल के बंटवारे को लेकर वार्ता आरंभ हुई थी। उस समय से ही यह नदी भारत और बांग्लादेश (पहले पूर्वी पाकिस्तान) के मध्य विवाद का एक स्रोत रही है।
- वर्ष 1984 में, भारत–बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग (Joint Rivers' Commission) ने **भारत को 42.5 प्रतिशत और बांग्लादेश को 37.5 प्रतिशत** जल आवंटित करने की अनुशंसा की थी।
  - **वर्ष 1984 की अनुशंसाओं के आधार पर वर्ष 2011 में एक समझौता संपन्न करने का प्रयास** किया गया था, जो पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा की गई आपत्तियों के कारण लागू नहीं किया जा सका।

## विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) द्वारा 'कार्बन अभिग्रहण, उपयोगिता एवं भंडारण' (Carbon Capture, Utilisation & Storage: CCUS) पर ट्रांसलेशनल रिसर्च को बढ़ावा

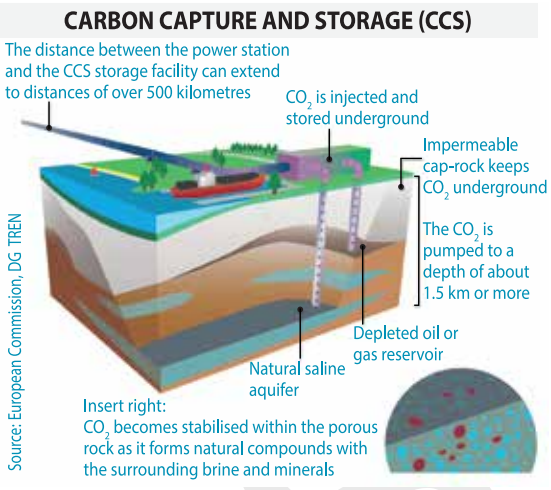


- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने भारतीय शोधकर्ताओं से **एक्सेलरेटिंग CCUS टेक्नोलॉजीज (ACT)** के तहत प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं।
  - ACT भारत सहित 16 सदस्य देशों की एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है, जिसका लक्ष्य **वैश्विक तापन से निपटने के लिए** CCUS को एक साधन के रूप में स्थापित करना है।
  - इसके कार्यान्वयन की अवधि वर्ष 2016–2021 के मध्य है। यह **अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषण के माध्यम से CCUS के स्थापन की सुविधा** प्रदान करेगा।
  - **ट्रांसलेशनल रिसर्च** का उद्देश्य मौलिक विज्ञान की खोजों को शीघ्रता व कुशलतापूर्वक व्यवहार में परिवर्तित करना है।
- **CCUS के बारे में:**
  - यह प्रौद्योगिकियों का एक समुच्चय (सेट) है, जो कार्बन डाइऑक्साइड ($CO_2$) उत्सर्जनों को उसके **स्रोत से या प्रत्यक्षतः वायु से ही अभिग्रहित (कैप्चर)** कर लेता है तथा उन्हें वायुमंडल में प्रवेश करने से रोकता है।
    - $CO_2$ को दहन–पूर्व, दहन–उपरांत या ऑक्सी–दहन (शुद्ध ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन) के तहत वर्गीकृत प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके कैप्चर किया जाता है।
  - एक बार कैप्चर करने के पश्चात्, $CO_2$ को या तो **विभिन्न उत्पादों, जैसे– सीमेंट या प्लास्टिक में पुनः प्रयुक्त (उपयोगिता)** किया जा सकता है, या उसे **भूगर्भीय संरचनाओं में भंडारित** किया जा सकता है, जैसे– गहन भूमिगत भंडारण।
- **लाभः** इससे समग्र कार्बन उत्सर्जन में कमी आती है, विश्वसनीय और वहनीय विद्युत उत्पन्न करने के लिए कोयले तथा गैस आधारित संयंत्रों की दक्षता में सुधार होता है आदि।
- **मुद्देः** भूमिगत भंडारण स्थलों से संभावित रिसाव और संबंधित नुकसान, कार्बन कैप्चर की उच्च लागत, $CO_2$ को उपयोगी उत्पादों में परिवर्तित करने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिससे और अधिक उत्सर्जन हो सकता है आदि।

## अन्य सुर्खियाँ

| | |
|---|---|
| **संसद के अध्यक्षों का पांचवा विश्व सम्मेलन (Fifth World Conference of Speakers of Parliament)** | ○ यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र के समर्थन से **अंतर–संसदीय संघ** (Inter-Parliamentary Union: IPU) और ऑस्ट्रिया की संसद द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है।<br>➢ **IPU की स्थापना वर्ष 1889 में संसदों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में** की गई थी। इसका उद्देश्य सभी देशों की संसदों के मध्य संपर्क, समन्वय और अनुभव के आदान–प्रदान को बढ़ावा देना है।<br>○ इस सम्मेलन का आयोजन आभासी विधि (virtual mode) में किया जा रहा है और सम्मेलन का दूसरा भाग आगामी वर्ष **वियना (ऑस्ट्रिया) में भौतिक रीति (physical mode)** से आयोजित किया जाएगा। |
| **श्रम ब्यूरो के डिजिटलीकरण की मांग की जा रही है (Call for Digitalisation of Labour Bureau)** | ○ श्रम ब्यूरो वस्तुतः श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है। इसके डिजिटलीकरण का उद्देश्य **श्रम ब्यूरो के दायरे को विस्तृत करना** है।<br>➢ **इसके अतिरिक्त, श्रम ब्यूरो का एक नया लोगो भी लॉन्च किया गया है।**<br>○ श्रम ब्यूरो **श्रम सांख्यिकी के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर का शीर्ष संगठन है,** जो श्रम आसूचना, अनुसंधान, निगरानी/मूल्यांकन और प्रशिक्षण प्रदान करने जैसे कार्य करता है।<br>○ यह औद्योगिक, कृषि और ग्रामीण मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index); मजदूरी दर सूचकांक आदि महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतकों के भंडारगृह के रूप में कार्य करता है। |
| **प्रधान मंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (Prime Minister Employment Generation Program (PMEGP))** | ○ वर्ष 2020 में, PMEGP परियोजनाओं के कार्यान्वयन में **44 प्रतिशत** की वृद्धि दर्ज की गई है।<br>○ PMEGP केंद्र सरकार का **प्रमुख रोज़गार सृजन कार्यक्रम** है।<br>○ खादी और ग्रामोद्योग आयोग (Khadi and Village Industries Commission: KVIC) इस योजना की **कार्यान्वयन एजेंसी** है।<br>○ **पात्रताः** 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति इस कार्यक्रम हेतु पात्र है। PMEGP के तहत केवल नई परियोजनाओं को अनुमोदन के लिए स्वीकार किया जाता है।<br>○ **विनिर्माण क्षेत्र** के तहत परियोजना/इकाई की अधिकतम स्वीकार्य राशि 25 लाख रुपये है तथा **व्यवसाय या सेवा क्षेत्र** के तहत परियोजना/इकाई की अधिकतम स्वीकार्य राशि 10 लाख रुपये है। |
| **ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (ट्राइफेड) की ट्राइफूड परियोजना {Trifood Project of Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India (TRIFED)}** | ○ **जनजातीय कार्य मंत्रालय** (Ministry of Tribal Affairs: MoTA) ने रायगढ़ (महाराष्ट्र) और जगदलपुर (छत्तीसगढ़) में, ट्राइफूड परियोजना के तृतीयक प्रसंस्करण केंद्रों का ई–शुभारंभ (आभासी उद्घाटन) किया है।<br>○ ट्राइफूड **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, MoTA और ट्राइफेड** की एक संयुक्त पहल है।<br>➢ **इसका उद्देश्य जनजातीय वन संग्रहकर्ताओं द्वारा एकत्रित गौण वनोपजों** (Minor Forest Produce: MFP) **के बेहतर उपयोग और मूल्य संवर्धन के माध्यम से जनजातियों की आय में वृद्धि करना है।** |
| **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संकेतक 2018 {Science and Technology Indicators (STI) 2018}** | ○ यह भारत में **वैज्ञानिक अनुसंधान की स्थिति का एक आवधिक संकलन** है।<br>○ इसे **विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के अंतर्गत राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रबंधन सूचना प्रणाली (National Science and Technology Management Information System)** द्वारा तैयार किया गया है। यह देश भर के विविध वैज्ञानिक प्रतिष्ठानों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों पर आधारित है।<br>○ इसके अनुसार, सरकार द्वारा वित्त–पोषित प्रमुख वैज्ञानिक एजेंसियों की तुलना में भारत की निजी क्षेत्र की शोध कंपनियां मुख्य **अनुसंधान और विकास गतिविधियों में महिलाओं को अधिक रोज़गार प्रदान करती** हैं। |
| **ईट राइट चैलेंज (Eat Right Challenge)** | ○ हाल ही में, **भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण (Food Safety and Standards Authority of India: FSSAI)** ने ईट राइट चैलेंज की शुरुआत की है।<br>○ यह एक वार्षिक प्रतियोगिता है, जिसका उद्देश्य भारत के शहरों/जिलों को **खाद्य सुरक्षा और विनियामक परिवेश को सुदृढ़ करने तथा उपभोक्ताओं के मध्य** बेहतर भोजन विकल्प निर्मित करने के लिए जागरूकता सृजित करने हेतु प्रोत्साहित करना है।<br>➢ **पंजीकरण कराने वाले प्रथम 150 शहरों और जिलों को FSSAI द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।**<br>○ यह **स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत FSSAI की ईट राइट इंडिया पहल (Eat Right India initiative) का एक भाग है।** इसका उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना और जीवनशैली से संबंधित रोगों के निवारण हेतु नकारात्मक पोषण संबंधी प्रवृत्तियों से निपटना है। |
| **चंद्रयान–2 ने चंद्रमा की कक्षा में 1 साल पूरा किया (Chandrayaan-2 completes 1 year)** | ○ चंद्रयान–2 मिशन भारत का चंद्रमा की सतह के **सर्वेक्षण विहीन रहे दक्षिणी ध्रुव पर** एक रोवर (प्रज्ञान) की **सॉफ्ट–लैंडिंग (विक्रम लैंडर) कराने का प्रथम प्रयास था।**<br>○ यद्यपि सॉफ्ट–लैंडिंग का प्रयास सफल नहीं हुआ था, तथापि **आठ वैज्ञानिक उपकरणों से सुसज्जित ऑर्बिटर को सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में स्थापित किया गया था।**<br>○ **इसके प्रमुख उपकरणों में शामिल हैं:** टेरेन मैपिंग कैमरा–2, चंद्रयान–2 लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्स–रे स्पेक्ट्रोमीटर, इमेजिंग इंफ्रा–रेड स्पेक्ट्रोमीटर आदि। |